भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 240
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 6 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता

240 डा. जाँन ब्रिटास:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के पुनर्वास और वहां पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत राज्य को किए जाने वाले निधियों के सामान्य आवंटन के अलावा किसी केंद्रीय सहायता या वित्तीय पैकेज को अभी तक मंजूरी नहीं दी है;
(ख) यदि हां, तो इसमें देरी के कारण क्या हैं;
(ग) केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए केरल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार वायनाड त्रासदी को एक प्राकृतिक "गंभीर प्रकार की आपदा" घोषित करने के लिए कदम उठाएगी;
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) विगत पांच वर्षों के दौरान 'गंभीर प्रकार की आपदा' या 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में घोषित की गई आपदाओं और इनके लिए प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने उनके

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 240

पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवजे के लिए।

एसडीआरएफ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केरल राज्य सरकार को 388.00 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 96.80 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31.07.2024 को जारी की गई। 01.10.2024 को राज्य को अग्रिम रूप से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के 145.60 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई। इसके अलावा, महालेखाकार, केरल ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में 782.99 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

इसके अलावा, केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, केरल राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना केंद्र सरकार द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए 02.08.2024 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने 19 अगस्त, 2024 को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें तत्काल प्रकृति की अस्थायी राहत सहायता प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ के तहत 214.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी गई, जिसमें अनुमानित मलबे को हटाने के लिए 36 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिस पर अभी खर्च होना है। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 16 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 153.47 करोड़ रुपये की राशि (एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन), बचाव और राहत के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) हेलीकॉप्टरों के वास्तविक हवाई बिलों के लिए सहायता और मलबे की सफाई के लिए वास्तविक व्यय, को मंजूरी दी।

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 240

इसके अलावा, राज्य द्वारा आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) किया गया है, जिसमें रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 2219.033 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार की रिपोर्ट 13 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने पीडीएनए रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है और रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) से (च): एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी प्राकृतिक आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, वायनाड में तत्काल आपदा को आईएमसीटी द्वारा 'गंभीर प्रकृति' का माना गया है।
देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख आपदाओं और उनके लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 240

अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अनुरोधित और जारी की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आपदा	राज्य सरकार द्वारा अनुरोधित राशि	एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि	एनडीआरएफ से जारी राशि#
2019-20					
1.	उड़ीसा	चक्रवात फानी	5227.61	3338.22	3114.46
2.	असम	बाढ़/भूस्खलन	3237.76	616.63	314. 83
3.	मध्य प्रदेश	बाढ़	6619.00	1749.73	1712.14
4.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	1141.15	284.93	283.97
5.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	808.31	367.17	0.00
6.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	3894.57	1869.85	1652.54
7.	महाराष्ट्र	बाढ़	2110.58	956.93	956.93
8.	त्रिपुरा	बाढ़/चक्रवात/भूस्खलन	444.77	63.32	0.00
9.	केरल	बाढ़/भूस्खलन	1624.09	460.77	0.00
10.	राजस्थान	बाढ़	2645.86	889.21	784.60
11.	बिहार	बाढ़	4183.32	953.17	953.17
12.	नागालैंड	अचानक बाढ़/ बाढ़/भूस्खलन	311.88	177.37	176.94
13.	उड़ीसा	चक्रवात बुलबुल	219.02	179.64	179.64
14.	महाराष्ट्र	चक्रवात क्यार	7207.79	1758.18	1758.18
15.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात बुलबुल	7477.00	1090.68	958.33
16.	मेघालय	बाढ़/भूस्खलन	131.61	18.87	16.52
2020-21					
1.	उड़ीसा	चक्रवात अम्फन	201.96	128.23	500.00 (खाता आधार पर अग्रिम)
2.	उड़ीसा	बाढ़	715.60	320.94	

क्र. सं.	राज्य	आपदा	राज्य सरकार द्वारा अनुरोधित राशि	एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि	एनडीआरएफ से जारी राशि#
3.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात अम्फन	35018.39	2707.77	2250.28
4.	महाराष्ट्र	चक्रवात निसर्ग	362.57	268.59	268.59
5.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	755.69	577.84	577.84
6.	मध्य प्रदेश	बाढ़	1779.47	611.61	611.61
7.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	366.68	87.84	73.86
8.	असम	बाढ़/भूस्खलन	2640.87	437.15	44.37
9.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन	792.71	75.86	59.34
10.	तेलंगाना	बाढ़	698.87	245.96	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	802.24	386.06	0.00
12.	आन्ध्र प्रदेश	बाढ़	1241.41	280.78	233.49
13.	बिहार	बाढ़	3635.61	1255.27	1255.27
14.	तमिलनाडु	चक्रवात निवार	643.80	63.14	63.14
15.	तमिलनाडु	चक्रवात बुरेवी	489.99	223.77	223.77
16.	तमिलनाडु	बाढ़	838.84	213.51	213.51
17.	आन्ध्र प्रदेश	चक्रवात निवार	1019.04	423.58	423.58
18.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	804.397	121.17	0.00
19.	कर्नाटक	बाढ़	1498.54	740.46	740.46
20.	महाराष्ट्र	बाढ़	355.15	151.53	151.53
21.	महाराष्ट्र	बाढ़	3721.26	701.00	701.00
2021-22					
1.	गोवा	चक्रवात तौकते	13.55	0.00	0.00
2.	गुजरात	चक्रवात तौकते	2448.83	1133.35	1000.00 (खाता आधार पर अग्रिम)
3.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	840.96	504.06	504.06
4.	मध्य प्रदेश	बाढ़	2041.35	600.50	600.50
5.	असम	बाढ़/भूस्खलन	1088.18	51.53	0.00
6.	उत्तराखंड	बाढ़/भूस्खलन	404.68	187.18	0.00

क्र. सं.	राज्य	आपदा	राज्य सरकार द्वारा अनुरोधित राशि	एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि	एनडीआरएफ से जारी राशि#
7.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात यास	4474.95	586.59	350.13
8.	तमिलनाडु	बाढ़	1510.83	352.85	352.85
9.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	692.23	112.19	0.00
10.	महाराष्ट्र	बाढ़/भूस्खलन	1031.595	355.39	355.39
11.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	1081.70	351.43	351.43
12.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	1281.89	492.39	492.39
13.	पश्चिम बंगाल	बाढ़/भूस्खलन	2630.52	475.04	350.13
14.	बिहार	बाढ़	4913.54	1038.96	1038.96
15.	राजस्थान	बाढ़	757.00	292.51	13.46
16.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	126.18	59.35	55.23
2022-23					
1.	असम	बाढ़/भूस्खलन	1309.50	520.466	160.936
2.	गुजरात	बाढ़	152.72	82.528	0.00
3.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	1944.47	941.04	939.83
4.	मेघालय	अचानक बाढ़/ बाढ़/भूस्खलन	143.616	47.326	0.00
5.	नागालैंड	अचानक बाढ़/ बाढ़/भूस्खलन	139.40	68.02	68.02
6.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़, भूस्खलन और बादल फटना	2516.82	239.31	214.26
7.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	219.22	142.92	0.00
8.	महाराष्ट्र	बाढ़/भूस्खलन	3902.62	577.50	0.00
9.	सिक्किम	बाढ़	267.79	47.43	46.89
2023-24					
1.	गुजरात	चक्रवात बिपरजॉय	704.20	338.24	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन	1887.34	633.73	597.98

क्र. सं.	**राज्य**	**आपदा**	**राज्य सरकार द्वारा अनुरोधित राशि**	**एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि**	**एनडीआरएफ से जारी राशि#**
3.	आन्ध्र प्रदेश	चक्रवात मिचौंग	885.98	366.42	0.00
4.	असम	बाढ़, भूस्खलन	117.67	73.98	0.00
5.	सिक्किम	बाढ़, अचानक बाढ़, भूस्खलन	481.83	245.47	240.45
6.	तमिलनाडु	चक्रवात मिचौंग	2070.04	285.54	276.10
7.	तमिलनाडु	बाढ़	2526.74	397.13	

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य के एसडीआरएफ में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि का 50% समायोजित करने के बाद निधि जारी की जाती है।

******